



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-07072021-228158
CG-DL-E-07072021-228158

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2525]
No. 2525]

नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 7, 2021/आषाढ़ 16, 1943
NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 7, 2021/ASHADHA 16, 1943

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 जुलाई, 2021

का. आ. 2729(अ).—केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है कि लोकहित में ऐसा करना अपेक्षित है कि लोहा और इस्पात उद्योग में लगी हुई सेवाओं को, जो औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की पहली अनुसूची की मद 7 के अधीन आती हैं, उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए एक लोक उपयोगी सेवा बनाया जाए;

और केन्द्रीय सरकार ने अंतिम बार उक्त उद्योग को भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 226(अ), तारीख 18 जनवरी, 2021 द्वारा तारीख 18 जनवरी, 2021 से छह मास की अवधि के लिए लोक उपयोगी सेवा के रूप में घोषित किया है;

और केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि लोक हित में छह मास की एक और अवधि के लिए उक्त उद्योग की लोकहित उपयोगी प्रास्थिति के विस्तार की अपेक्षा की जाती है;

अतः, अब केन्द्रीय सरकार, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खंड (d) के उपखंड (vi) के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लोहा और इस्पात उद्योग में लगी हुई सेवाओं को तारीख 18 जुलाई, 2021 से छह मास की अवधि के लिए उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए लोक उपयोगी सेवा के रूप में घोषित करती है।

[फा. सं. एस.-11017/07/2011-आई.आर.(पी.एल.)]

कल्पना राजसिंहोत, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT
NOTIFICATION

New Delhi, the 7th July, 2021

S.O. 2729(E).—Whereas the Central Government is satisfied that the public interest so requires that the services engaged in the iron and steel industry, which is covered under item 7 of the First Schedule to the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), to be a public utility service for the purpose of the said Act;

And whereas the Central Government has lastly declared the said industry to be a public utility service for the purposes of the said Act *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Labour and Employment number S.O. 226 (E), dated 18th January, 2021 for a period of six months with effect from the 18th January, 2021;

And whereas the Central Government is of the opinion that public interest requires the extension of the public utility service status to the said industry for a further period of six months;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-clause (vi) of clause (n) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby declares the services engaged in the iron and steel industry to be a public utility service for the purposes of the said Act for a further period of six months with effect from the 18th July, 2021.

[F. No. S-11017/ 07 /2011-IR (PL)]

KALPANA RAJSINGHOT, Jt. Secy.